न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना–पत्र (अवमानना) संख्याः 04/2017
दायर दिनांकः 20.06.2017
आदेश दिनांक 22.03.2021

–:अनवानः–

श्री गोपाल पिता कमललाल दवे निवासी बामन टूकडा, हाल 168/3 शितल नगर बानगंगा, इन्दौर ----**प्रार्थी**

–:बनामः–

ग्रामपंचायत बामन टुकडा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बामन टूकडा, तहसील व जिला राजसमंद -----**विपक्षी**

आवेदन बाबत अवमानना कार्यवाही

उपस्थितः–

1– श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री अब्दुल हकीम चूड़ीगर, अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अवमानना कार्यवाही सम्बंधी इस न्यायालय में दिनांकः 16.06.2017 को पेश कर इसमें निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम बामन टुकडा के आबादी भूमि में दिनांक 20.11.2009 को ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 16 व सर्वसम्मति से अनुमोदन कर कुल 25 पट्टे रियायती दर से राशि जमा कर पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की। जिन 25 लोगो के पटटे जारी किये गये, उसमें 24 अन्य लोगो व एक पट्टा प्रार्थी स्वयं को जारी किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त पट्टे जारी करने में भारी अनियमितता की गयी, जिस पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द ने उन 25 ही पट्टो को निरस्त करने हेतु धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत दिनांक 10.12.2012 को आप न्यायालय में निगरानी पेश की गयी। जिसको 30.06.2014 को आप न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये गयें। तथा नये सिरे से पट्टे जारी करने का आदेश जारी किया गया। उपरोक्त आदेश की पालना के संबंध में विपक्षी को कई दफा लिखीत व मौखिक निवेदन किया गया लकिन विपक्षी द्वारा उपरोक्त आदेश की पालना न कर खुले तौर पर आदेश की अवहेलना की गयी हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी के विरूद्व कड़ी से कडी कानूनी कार्यवाही की जाकर भारी जुर्माना अध्यारोपित किया जावें तथा प्रार्थी की जमीन छोडकर उसकी सीमा सुनिश्चित किये जाने एवं पट्टा जारी करने का आदेश दिया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। जिन्होने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्णतः गलत होकर अस्वीकार है आप न्यायालय हुए निर्णय के पश्चात विपक्षी ने तुरन्त उच्च्व योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ एवं नक्शा नवीश से सलाह लेना प्रारम्भ कर वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार पंचायत के हितो को ध्यान में रखते हुए

अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की जो विचाराधीन हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बामन टुकडा के आबादी भूमि में दिनांक 20.11.2009 को ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 16 व सर्वसम्मति से अनुमोदन कर कुल 25 पट्टे रियायती दर से राशि जमा कर पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की। जिन 25 लोगो के पटटे जारी किये गये, उसमें 24 अन्य लोगो व एक पट्टा प्रार्थी स्वयं को जारी किया गया। विपक्षी द्वारा उक्त पट्टे जारी करने में भारी अनियमितता की गयी, जिस पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजसमन्द ने उन 25 ही पट्टो को निरस्त करने हेतु धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत दिनांक 10.12.2012 को आप न्यायालय में निगरानी पेश की गयी। जिसको 30.06.2014 को आप न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये गयें। तथा नये सिरे से पट्टे जारी करने का आदेश जारी किया गया। उपरोक्त आदेश की पालना के संबंध में विपक्षी को कई दफा लिखीत व मौखिक निवेदन किया गया लकिन विपक्षी द्वारा उपरोक्त आदेश की पालना न कर खुले तौर पर आदेश की अवहेलना की हैं।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पूर्णतः गलत होकर अस्वीकार है। आप न्यायालय हुए निर्णय के पश्चात विपक्षी ने तुरन्त उच्च योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ एवं नक्शा नवीश से सलाह लेना प्रारम्भ कर वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार पंचायत के हितो को ध्यान में रखते हुए अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की जो विचाराधीन हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन विचार किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में समय सीमा का कोई निर्देश नही दिया गया है और कार्यवाही विचारधीन होने से अवमानना नही बनती हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रस्तुत याचिका खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:आदेश::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवमानना खारिज किया जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 22.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)